

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

रीडर/2023/ 79

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 03/01/24

1 शंकरसिंह पुत्र
कस्तूरसिंह जाति पुरोहित
निवासी पूनड़ों की बस्ती,
उण्डखा तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 पदमसिंह 2 अगरसिंह पिसरान वगतसिंह 3 मगसिंह पुत्र
सुरतसिंह 4 धनसिंह 5 सांगसिंह पिसरान दानसिंह 6
खंगारसिंह 7 मूलसिंह 8 हीरसिंह पिसरान जीवराजसिंह 9
मुल्तानसिंह 10 बस्तीसिंह 11 बलवन्तसिंह पिसरान अमरसिंह
12 हडवन्तसिंह पुत्र कस्तूरसिंह जाति पुरोहित निवासी पूनड़ों
की बस्ती, उण्डखा तहसील एवं जिला बाड़मेर 13 तहसीलदार
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 191/2023

दिनांक- 26/12/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पूनड़ों की बस्ती पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 130/2 रकबा 9.4939 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो
प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2023/ 80-84
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 03/01/24

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. शंकरसिंह पुत्र कस्तूरसिंह जाति पुरोहित निवासी पूनड़ों की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पदमसिंह पुत्र वगतसिंह वगैराह जाति पुरोहित निवासी पूनड़ों की बस्ती, उण्डखा
तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर